महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337455
फैक्स नं0 : 0522–2337453
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी–1–152(2)2023 / 483
दिनांक फरवरी 29, 2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या:दस-130/2023 दिनांक 19.10.2023 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(1)/2023 दिनांक 13.10.2023 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2023 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 1372 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह फरवरी 2024 की 28 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	1522	040500049	हरिकेश कुमार	रामदास	एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ	2023
2	1524	040440200	सन्तोष कुमार सिंह	श्री राम धनी प्रसाद सिंह	प्रयागराज	2023
3	1525	040580148	नदीम मलिक	लईक अहमद	32वी लखनऊ	2023
4	1526	040500065	कपिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	बरेली	2023
5	1527	040500166	हरेन्द सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट	बिजनौर	2023
6	1528	040500430	अखिलेश कुमार	लाखन सिंह	शाहजहाँपुर	2023
7	1529	040510196	जयप्रकाश यादव	सुरेश यादव	वाराणसी कमिश्नरेट	2023
8	1530	040540160	संजीव कुमार	श्री खूबी लाल	बरेली	2023
9	1531	040540317	शरीफ खान	रज्जन खान	32वी लखनऊ	2023

10	1532	040480291	योगेन्द्र सिंह तोमर	श्री सत्यपाल सिंह तोमर	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	2023
11	1533	040500124	सुर्दशन सिंह यादव	श्री चन्द्रम यादव	36वीं वाराणसी	2023
12	1534	040580151	राजेश कुमार पाल	वासुदेव पाल	चित्रकूट	2023
13	1535	040480275	प्रमोद कुमार शर्मा	श्री गंगासरन	सहारनपुर	2023
14	1536	040440037	प्रदीप कुमार यादव स्व0	राम नन्दन सिंह यादव	सोनभद्र	2023
15	1537	040580164	विनोद कुमार पाठक	हरि मोहन पाठक	04वीं प्रयागराज	2023
16	1538	040540724	संजीव कपासिया	श्री रघुराज सिह	बागपत	2023
17	1539	040440024	चन्द्रप्रकाश सिंह	श्री लालबाबू सिंह	महराजगंज	2023
18	1540	040440082	अखिलेश कुमार यादव	श्री राम दुलार यादव	36वीं वाराणसी	2023
19	1541	040440138	राजन सिंह	श्री गंगा धारी सिंह	गोण्डा	2023
20	1542	040540229	रामकृष्ण	निक्काराम	08वीं बरेली	2023
21	1545	040540274	सुन्दर लाल	श्री नन्द राम सिंह	सम्भल	2023
22	1546	040510284	राहुल कुमार भारती	श्री भगवती प्रसाद भारती	महराजगंज	2023
23	1548	040540564	अजय कुमार	सत्यभान सिंह	45वीं अलीगढ़	2023
24	1549	040510154	राजकुमार यादव	ईश्वरदीन यादव	आरटीसी 12वी वाहिनी फतेहपुर	2023
25	1550	040510327	अरविन्द कुमार यादव	रामनरेश यादव	बस्ती	2023
26	1551	040510268	चन्द्रकेश	लल्लन सिंह	32वी लखनऊ	2023
27	1552	040440239	सन्त लाल सरोज	राम सुख सरोज	वाराणसी कमिश्नरेट	2023
28	1553	040500241	निपेन्द्र सिंह	श्री झूडा सिंह	09वीं मुरादाबाद	2023

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा- पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र

29/2

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर /कानपुर/ वाराणसी
2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
5- पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ।
6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।

8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ।
9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
10- पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद।
11- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
13- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।

प्रारूप- "क"

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ)..... .....

पुत्र..... .....निवासी ..... थाना.....

जनपद..... .....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) .....

नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र ..... का आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण .....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ..... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक ..... को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.....धारा.....थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक ..... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी ..... द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में ..... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।